न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्र... संख्या 07 / 2019
प्रविष्टि दिनांक 05.09.2019

सरकार जरिये तहसीलदार देवली (वादी)

बनाम

1.मोहम्मद हुसैन पिता अजीज खां निवासी–नासिरदा,
2.अहमद हुसैन पिता अजीज खां निवासी–नासिरदा,
3.जाहिद हुसैन पिता अजीज खां निवासी–नासिरदा,
4.मुमताज पिता अजीज खां निवासी–नासिरदा,
5.शमीम पिता अजीज खां निवासी–नासिरदा,
6.नसरीन पिता अजीज खां निवासी–नासिरदा,

(प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि भूमि हेतु आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति–

(1) श्री रामप्रसाद कुमावत नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार।
(2) श्री जितेन्द्र कुमार जैन व श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय **दिनांक 29–6–2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार यह हैं कि दिनांक 28.07.1972 को आवंटन कमेटी द्वारा मिसल नं. 561 / 1972 से अजीज खां पिता रमजान खां निवासी नासिरदा को ग्राम थली में आराजी खसरा नम्बर 373 / 1156 / 3 में 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन के आधार पर भू प्रबन्ध के दौरान सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी देवली कैम्प टोडारायसिंह द्वारा मिसल संख्या 367 कायम कर ग्राम थली के हाल खसरा नं. 540 / 0.25 व 546 / 0.42 कुल किता 2 रकबा 0.67 है. को अजीज पुत्र रमजान खां कोम मुसलमान निवासी नासिरदा के नाम जरिये नामा. संख्या 24 दिनांक 29.07.1989 से गैर खातेदारी हक से दर्ज कर दी गई। उक्त दोनों खसरा नं. 540, 546 भू प्रबन्ध विभाग ने 5 बीघा के आवंटन के क्रम में रकबा पूर्ति करते हुए आवंटी अजीज खां के नाम दर्ज की। इससे पूर्व आवंटी अजीज के खसरा नम्बर 545 रकबा 0.50 है. भूमि गैरखातेदारी हक से भूप्रबन्ध विभाग ने सेटलमेन्ट बाद दर्ज रिकार्ड की। इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग ने 5 बीघा भूमि आवंटन के क्रम में कुल किता 3 रकबा 1.17 है. भूमि दर्ज रिकार्ड की। मिलान क्षेत्रफल अनुसार (1) खसरा नम्बर 540 साबिक खसरा नं. 369 मी. व 371 मी. से (2) खसरा नं. 545 साबिक खसरा नम्बर 371 से तथा (3) खसरा नम्बर 546 साबिक खसरा नं. 371 से बना हैं। आवंटी अजीज को साबिक खसरा नं. 369 व 371 में कोई भूमि आवंटित नहीं हुई थी। आवंटी अजीज को मि. नं. 561 / 1972 दिनांक 28.07.1972 से ख. नं. 373 / 1156 / 3 में से 5 बीघा भूमि आवंटन की गई। जबकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मि. नं. 367 एवं नामा. सं. 24 से आवंटन साबिक नं. 371 / 1156 / 3 में 5 बीघा भूमि आवंटन मानते हुए हाल ख.नं. 540, 545, 546 मे गैर खातेदारी दी गई। आवंटी को साबिक ख. नं. 371 / 1156 / 3 में कोई भूमि आवंटन नहीं हुई। ग्राम थली की जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 अनुसार सिवायचक खाते में ख. नं. 371 / 1156 / 1 अंकित हैं। आवंटी अजीज को आवंटन की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

गई भूमि ख. नं. 373/1156/3 में से 5 बीघा है जो कि सिवायचक खाते में अंकित नहीं हैं। यह कि ग्राम थली में आवंटी अजीज के नाम गैरखातेदारी हक से दर्ज भूमि ख. नं. 545 रकबा है. को नामा. सं. 21/20.05.1989 से खातेदारी दी गई। आवंटी अजीज के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज भूमि ख. नं. 540 रकबा 0.25, ख. नं. 546 रकबा 0.42 है. को नामा. सं. 87/05.05.1993 से खातेदारी दी गई। आवंटी अजीज व उसकी पत्नी फौत हो जाने से ग्राम थली में ख. नं. 540, 545, 546 भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के नाम खातेदारी दर्ज हैं। उक्त भूमि बीसलपुर बांध परियोजना की डूब में आ जाने से प्रतिवादी सं. 1 से 6 मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं। उक्त प्रकरण में पूर्व में की गई राजहित रिपोर्ट दिनांक 06.04.2002 अनुसार साबिक व हाल खसरा नम्बरों का मिलान नहीं हाने से राजहित प्रभावित बताया है। आवंटन पत्रावली सं. 561/1972 से ख. नं. 373/1156/3 में से 5 बीघा भूमि आवंटन की है परन्तु उक्त ख. नं. सिवायचक नहीं हैं। तहसीलदार देवली द्वारा आवंटी अजीज पिता रमजान खां. को ग्राम थली में मि. नं. 561/1972 दिनांक 28.07.1972 से ख. नं. 373/1156/3 में से 5 बीघा भूमि के आवंटन को खारिज किया जाकर इस आवंटन के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 से 6 के नाम ग्राम थली में अंकित भूमि ख. नं. 540/0.25, 545/0.50, 546/0.42 किता–3/1.17 है. भूमि को वापिस सिवायचक दर्ज करने का निवेदन किया हैं।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थी की गई। पेरोकार सरकार व अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

तहसीलदार(भू.अ.) देवली ने लिखित बहस पेश की व पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया है कि दिनांक 28.07.1972 को आवंटन कमेटी द्वारा मिसल नं. 561/1972 से अजीज खां पिता रमजान खां निवासी नासिरदा को ग्राम थली में आराजी खसरा नम्बर 373/1156/3 में 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन के आधार पर भू प्रबन्ध के दौरान सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी देवली कैम्प टोडारायसिंह द्वारा मिसल संख्या 367 कायम कर ग्राम थली के हाल खसरा नं. 540/0.25 व 546/0.42 कुल किता 2 रकबा 0.67 है. को अजीज पुत्र रमजान खां कोम मुसलमान निवासी नासिरदा के नाम जरिये नामा. संख्या 24 दिनांक 29.07.1989 से गैर खातेदारी हक से दर्ज कर दी गई। उक्त दोनों ख. नं. 540, 546 भूप्रबंध विभाग ने 5 बीघा के आवंटन के क्रम में रकबा पूर्ति करते हुए आवंटी अजीज के नाम दर्ज की। इससे पूर्व आवंटी अजीज के खसरा नम्बर 545 रकबा 0.50 है. भूमि गैरखातेदारी हक से भूप्रबन्ध विभाग ने सेटलमेन्ट बाद दर्ज रिकार्ड की। मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 540 साबिक खसरा नं. 369 मी. व 371 मी. से, खसरा नं. 545 साबिक खसरा नम्बर 371 से तथा खसरा नम्बर 546 साबिक खसरा नं. 371 से बना हैं। आवंटी अजीज को साबिक खसरा नं. 369 व 371 में कोई भूमि आवंटित नहीं हुई थी। आवंटी अजीज को मिसल नं. 561/1972 दिनांक 28.07.1972 से ख. नं. 373/1156/3 में 5 बीघा भूमि आवंटन हुई। जबकि सेटलमेंट विभाग द्वारा मिसल सं. 367 व नामान्तकरण सं. 24 से आवंटन साबिक नं. 371/1156/3 में 5 बीघा भूमि आवंटन मानते हुए हाल ख. नं. 540, 545, 546 में गैर खातेदारी दी गयी। आवंटी को साबिक ख. नं. 371/1156/3 में कोई भूमि आवंटन नहीं हुयी। ग्राम थली की जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 अनुसार सिवायचक खाते में ख. नं. 371/1156/1 अंकित हैं। आवंटी अजीज को आवंटन की गई भूमि ख. नं. 373/1156/3 में से 5 बीघा है जो कि सिवायचक खाते में अंकित नहीं हैं। ग्राम थली में आवंटी अजीज के नाम गैरखातेदारी हक से दर्ज भूमि ख. नं. 545 को नामा. सं. 21 ख. नं. 540, 546 को नामा. सं. 87 से खातेदारी दी गई। इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग ने 5 बीघा भूमि आवंटन के क्रम में कुल किता 3 रकबा 1.17 है. भूमि दर्ज रिकार्ड की। इससे पूर्व आवंटी अजीज के ख. नं. 545 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि गैर खातेदारी हक से भू आवंटी अजीज के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज भूमि ख.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

नं. 540 रकबा 0.25, ख. नं. 546 रकबा 0.42 है. को नामा. सं. 87 / 05.05.1993 से खातेदारी दी गई। आवंटी अजीज व उसकी पत्नी फौत हो जाने से ग्राम थली में ख. नं. 540, 545, 546 पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के नाम खातेदारी दर्ज हैं। यह कि उक्त प्रकरण में पूर्व में की गई राजहित रिपोर्ट दिनांक 06.04.2002 अनुसार साबिक व हाल खसरा नम्बरों का मिलान नहीं हाने से .राजहित प्रभावित बताया है। यह कि आवंटन पत्रावली सं. 561 / 1972 से ख. नं. 373 / 1156 / 3 में से 5 बीघा भूमि आवंटन की है परन्तु उक्त ख. नं. सिवायचक नहीं हैं।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की एवं बहस मे कथन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.07.1972 को मिसल नं. 561 / 1972 से ग्राम थली में आराजी खसरा नम्बर 373 / 1156 / 3 में 5 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी जो कि पूर्ण रूप से नियमानुसार की गई थी। अतः इस आवंटन को तहत रूल 14(4) कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता हैं। 14(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Officer (or a Tehsildar under the rules repealed by Rule 21 of the rules) either suo moto or on the application of any person in case the allotement has beern secured through fraud or misrepresentation or has been made against rele or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

आवंटन के आधार पर भू प्रबन्ध के दौरान सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी देवली कैम्प टोडारायसिंह द्वारा मिसल सं. 367 कायम कर ग्राम थली के हाल खसरा नम्बर 540 / 0.25 व 546 / 0.42 कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 हैक्टर को अजीज पुत्र रमजान खां कौम मुसलमान निवासी नासिरदा के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 29.07.1989 से गैर खातेदारी हक में दर्ज कर दी गयी। उक्त दोनों खसरा नम्बर 540, 546 भू प्रबन्ध विभाग में 5 बीघा के आवंटन के क्रम में रकबा पूर्ति करते हुए आवंटी अजीज के नाम दर्ज की गई थी। इससे पूर्व आवंटी अजीज के खसरा नम्बर 545 रकबा 0.50 हैक्टर भूमि गैर खातेदारी हक से भूप्रबन्ध विभाग ने सेटलमेन्ट बाद दर्ज रिकार्ड की थी। इस प्रकार भूप्रबन्ध विभाग ने 5 बीघा भूमि आवंटन के क्रम में कुल किता 3 रकबा 1.17 हैक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड की थी जो सैटलमेंट विभाग ने रकबा पूर्ति हेतु की थी जो सही एवं दुरूस्त हैं और सैटलमेंट ने कोई गलती नहीं की हैं, हो सकता हैं कि सैटलमेंट विभाग द्वारा स्लिप ऑफ पेन के कारण ख. नं. 373 / 1156 / 3 के बजाय ख. नं. 371 / 1156 / 3 लिखने में आ गया हो और इसीलिये रकबा पूर्ति के क्रम में सैटलमेंट द्वारा उक्त कार्यवाही की गयी हो। उक्त भूमि को बीसलपुर परियोजना के तहत अवाप्त भी कर ली गई जिसका मुआवजा प्राप्त करने के लिए अप्रार्थीगण पूर्ण रूप से अधिकृत है तथा लैण्ड एक्यूजिशन की कार्यवाही के पश्चात् तहसीलदार को इस संबंध में तहत रूल 14(4) या अन्य किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार स्वयं लैण्ड होल्डर है इसीलिए यदि सैटलमेंट विभाग ने किसी प्रकार की कोई गलती की थी तो उनके पास इस गलती को ठीक करवाने के लिए सेटलमेंट में उज्रदारी पेश कर सकते थे या अप्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण के नाम इस भूमि के खातेदारी के नामान्तकरण सं. 21 दिनांक 20.05.1989 एवं नामान्तकरण सं. 87 दिनांक 05.05.1993 का अमल किया गया था तो उसके खिलाफ भी ये नियमानुसार अपील पेश कर सकते थे। परन्तु उक्त गलती के खिलाफ काफी लम्बे समय तक कोई उचित कानूनी कार्यवाही नहीं की जिसकी वजह से अब वह इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से लॉ ऑफ एस्टोपल के तहत एस्टोप्ड है। धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–

(सही)

आवारस्व जिला कलेक्टर
टोंक

(Sec. 136 Correction of errors- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register- अतः तहसीलदार देवली द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रस्तुत कार्यवाही तहत रूल 14(4) अलाटमेंट रूल्स 1970 खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से जाहीर है कि प्रतिपक्षीगण के पिता अजीज खां पुत्र रमजान खां निवासी नासिरदा को भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.07.1972 को आ0ख0नं0 373/1156/3 में रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। जबकि सेटलमेंट विभाग द्वारा मिसल सं. 367 व नामान्तकरण सं. 24 से आवंटन साबिक नं. 371/1156/3 में 5 बीघा भूमि आवंटन मानते हुए हाल ख. नं. 540, 545, 546 में गैर खातेदारी दी गयी। आवंटी को साबिक ख. नं. 371/1156/3 में कोई भूमि आवंटन नहीं हुयी। ग्राम थली की जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 अनुसार सिवायचक खाते में ख. नं. 371/1156/1 अंकित हैं। आवंटी अजीज को आवंटन की गई भूमि ख. नं. 373/1156/3 में से 5 बीघा है जो कि सिवायचक खाते में अंकित नहीं हैं। जबकि नकल अलाटमेंट आदेश भू आवण्टन सलाहकार समिति दिनांक 28-7-1972 उनवानी/ प्रार्थना पत्र अजीज खॉ पुत्र रमजान खॉ निवासी नासिरदा में अंकित किया गया है कि संशोधित खसरा नम्बर 371/1156/3 में से 5 बीघा भूमि काश्त हेतु आवंटन किया जाता है। उक्त प्रकरण में पूर्व में की गई राजहित रिपोर्ट दिनांक 06.04. 2002 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बरों का मिलान नहीं होने से प्रार्थना पत्र नियम 14(4) प्रस्तुत किया गया है। आवंटन पत्रावली सं. 561/1972 से ख. नं. 373/1156/3 में से 5 बीघा भूमि आवंटन की है, जिसको संशोधित खसरा नम्बर 371/1156/3 रकबा 5 बीघा को संशोधित मानते हुए खातेदारी दे दी गई है। आवन्टन आदेश 48 वर्ष पुराना है तथा मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर कराया जाना नहीं पाया जाता है। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पिता अजीज खॉ पुत्र रमजान खॉ के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 ता 6 के पिता अजीज खॉ. पुत्र रमजान खॉ निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक को दिनांक 28.07.1972 को ग्राम ग्राम थली के आ0ख0नं0 373/1156/3, के संशोधित खसरा नम्बर 371/1156/3 में 5 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29-6-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर,टोंक